इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९८०

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बलिया

क्रमांक— — — दिनांक— १६.६.८०

छात्रा/छात्र/परीक्षार्थी ____ अनुक्रमांक ____

द्वारा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९८० में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण :

कक्षा — १२

परीक्षा में प्रवेश लिये हुए विषय	विषय के लिखित पत्रों में पूर्णांक	विषय के प्रायोगिक पत्रों में पूर्णांक	विषय के आन्तरिक निर्धारण में पूर्णांक	विषय के कुल पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्त अंक	लिखित परीक्षा		प्रायोगिक निर्धारण					
							लिखित	प्रायोगिक	आन्तरिक निर्धारण में	लिखित परीक्षा में				
										प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	कुल योग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१ [illegible]	१००	२७	७०	१५	२८									
२ [illegible]	१००	३५	३५		५३									
३ [illegible]	१००	२५	२५		४८									
४ [illegible]	१००	३०	३०		५०									
५ [illegible]	१००	२५	३०		५५									
६														

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों में लिखे — ३९३

परीक्षाफल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय में से जो भी अनुमोदित)	श्रेणांक	विशेष घोषणा	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहां अंकित कीजिये	क्या पुनरीक्षण परीक्षा का अधिकारी है ? यदि है, तो विषय	क्या निःशुल्क अभिरक्षा का अधिकारी है ?
[illegible]					

नोट—प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय होना हुआ है अथवा नहीं; इसको जांच परीक्षार्थी द्वारा दिये विषयों के आधार पर स्वयं भी कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो उत्तरदायी केन्द्र-व्यवस्थापक से शीघ्र सम्पर्क स्थापित करके समस्या निराकरण करा लें अन्यथा भूल सुधार में विलम्ब हो सकता है, जो परीक्षार्थी के लिये अहितकर होगा। परिषद् कार्यालय में जांच के पश्चात् कर यदि कोई त्रुटि पाई जायेगी तो उसकी सूचना शीघ्र ही उत्तरदायी केन्द्र-व्यवस्थापक को दी जायेगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

परीक्षाफल सम्बन्धी नियम

१—प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत हैं। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है, उनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिए अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं।

२—उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक नहीं होने चाहिए। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांकों से कम होने पर प्राप्तांक दूसरे के नीचे दिये जाते हैं।

३—किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष घोषणा मिलती है, सम्पूर्ण योग का ६० प्रतिशत प्राप्तांक होने पर सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

४—प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अंकों का क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

५—यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह उस विषय में पुनरीक्षण का अधिकारी होगा।

६—पुनरीक्षण के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः अभिरक्षा के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किये गए हैं, पुनरीक्षण के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ स्वतः अभिरक्षा के अधिकारी होंगे इनको उत्तर-पुस्तकों की अभिरक्षा निःशुल्क होगी।

बनाने वाले के हस्ताक्षर— — — — —

अंकसूची के हस्ताक्षर— — — — — — —

प्रधानाचार्या
राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बलिया